न्यायालयः—श्रीमती गंगा पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चांपा जिलाः जांजगीर—चांपा (छ0ग0)

विविध प्र0क्रं0—73/22
थाना सारागांव अप.क. 175/22

// सुपुर्दनामा आदेश //

02/11/2022 राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

आवेदक/सुपुर्ददार सहित अधिवक्ता श्री रूचिर मालवीय अग्रवाल उपस्थित।

प्रकरण सुपुर्दनामा आवेदन पर थाना के प्रतिवेदन/सुपुर्दनामा हेतु नियत है।

थाना सारागांव से अपराध क्र0—175/2022 की केस डायरी प्राप्त।

सुपुर्दनामा आवेदन पर तर्क श्रवण किया गया।

आवेदक/सुपुर्ददार **एबीस एक्सपोर्ट इंडिया प्रा.लि. की ओर से खास मुख्तियार फिरोज शाह अहमद** की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस प्रकार है कि थाना सारागांव में **जप्तशुदा वाहन टाटा पीकप कमांक सी.जी. 08 ए.डी. 8481** को जप्त किया गया है। उक्त जप्तशुदा वाहन इंडियन एग्रो एंड फुड इंडस्ट्रीज प्रा.लि. के नाम से पंजीकृत है। एबीस एक्सपोर्ट इंडिया प्रा.लि. के डायरेक्टर अंजूम अलवी द्वारा आवेदक/सुपुर्ददार **फिरोज शाह अहमद** को खास मुख्तियार नियुक्त किया गया है, वह जप्तशुदा वाहन को खास मुख्तियार की हैसियत से न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दनामें पर प्राप्त करना चाहता है। उक्त जप्तशुदा वाहन के थाने में खुली अवस्था में पड़े रहने के कारण उसके कलपुर्जे एवं इंजन में खराबी आने की संभावना है। वह जप्तशुदा वाहन को न्यायालय से सुपुर्दनामा पर प्राप्त करना चाहता है तथा सुपुर्दनामें पर प्रदान किये जाने पर समस्त न्यायिक शर्तों का

पालन करने वचनबद्ध है। अस्तु **जप्तशुदा वाहन टाटा पीकप क्रमांक सी.जी. 08 ए.डी. 8481 को मय दस्तावेज व चाबी सहित** सुपुर्दनामे पर दिये जाने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सुपुर्दनामा आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

तर्क एवं निवेदन के परीप्रेक्ष्य में केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित है कि थाना सारागांव में अपराध क्रमांक–175/22 अंतर्गत धारा 279, 337 भा0द0वि0 में संलग्न जप्ती पत्रक मुताबिक **जप्तशुदा वाहन टाटा पीकप क्रमांक सी.जी. 08 ए.डी. 8481 को मय दस्तावेज व चाबी सहित दिनांक 01.11.2022** को जप्त किया गया है, जिसका ईजन नंबर 4SPCR10JSY633627 एवं चेचिस नंबर MAT464602HSJ11532 को जप्त किया गया है, वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा प्रपत्र के अवलोकन से जप्तशुदा आवेदित वाहन **जप्तशुदा वाहन टाटा पीकप क्रमांक सी.जी. 08 ए.डी. 8481 आवेदक/सुपुर्ददार जप्तशुदा वाहन एबीस एक्सपोट प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर** पंजीकृत होना दर्शित है। एबीस एक्सपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर अंजूम अलीव के द्वारा उक्त वाहन को सुपुर्दनामा में लेने के लिए **फिरोज शाह अहमद** को मुख्तियार खास नियुक्त किया गया है तथा एक वर्ष के लिए उन्हें कंपनी से संबंधित वाहनों की देखरेख और कंपनी के वाहनों के अधिकृत किया गया है। आवेदन के साथ संलग्न मूल बीमा दस्तावेज से घटना समय वाहन बीमित होना भी दर्शित है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अधिकृत प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति प्रति प्रस्तुत है। खास मुख्तियारनामा **एबीस एक्सपोट प्राईवेट लिमिटेड** द्वारा आवेदक/सुपुर्ददार **फिरोज शाह अहमद** को समस्त मामले में उनकी ओर से उपस्थित होकर सक्षम प्राधिकार के समक्ष समुचित कार्यवाही सम्पन्न करने अधिकृत

किया गया है। खास मुख्तियारनामा की मूल प्रति अवलोकन उपरांत आवेदक के अधिवक्ता को वापस लौटाई गयी। थाने से प्राप्त प्रतिवेदन में जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामा में दिये जाने पर आपत्ति नहीं की गयी है। जप्तशुदा वाहन मशीनरी वस्तु है एवं असुरक्षित अवस्था में रखे जाने से यांत्रिक कमी एवं गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ऐसी दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत–सुंदरलाल अंबालाल देसाई वि. गुजरात राज्य, स्पेशल लिव पिटीशन क्रिमीनल 2745/2022, दिनांक 01.01.2002 में प्रतिपादित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में उक्त वाहन **जप्तशुदा वाहन टाटा पीकप क्रमांक सी.जी. 08 ए.डी. 8481 को मय दस्तावेज व चाबी सहित** को आवेदक/सुपुर्ददार को सुपुर्दनामा में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से 15,00,000/–(पन्द्राह लाख रूपए) का सुपुर्दनामा तथा उक्त वाहन एवं खास मुख्तियारनामा दस्तावेजों की नोटरी सत्यापित प्रति, आवेदक/सुपुर्ददार के आधार कार्ड सहित प्रस्तुत किये जाने पर **जप्तशुदा वाहन टाटा पीकप क्रमांक सी.जी. 08 ए.डी. 8481 को मय दस्तावेज व चाबी सहित (चालन अनुज्ञप्ति को छोड़कर)** को निम्न शर्तो के अधीन आवेदक/सुपुर्ददार/खास मुख्यितार **फिरोज शाह अहमद** को सुपुर्दनामे में दी जावे –

01– आवेदक/सुपुर्ददार/खास मुख्यितार उक्त वाहन के स्वत्व एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

02– न्यायालय जब कभी उक्त वाहन को पेश करने के लिये आदेशित करेगा, आवेदक/सुपुर्ददार/खास मुख्यितार स्वयं के व्यय पर वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

03– आवेदक/सुपुर्ददार/खास मुख्यितार वाहन को किसी अन्य को हस्तांतरित या विक्रय नहीं करेगा।

04– आवेदक/सुपुर्ददार/खास मुख्यितार विवेचना व विचारण में सहयोग करेगा।

05— अपने पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

प्रकरण सुपुर्दनामा आदेश के पालन हेतु—

सही / —
(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर—चांपा(छ0ग0)

पश्चात,

आदेशानुसार आवेदक / सुपुर्ददार / खास मुख्तियार **फिरोज शाह अहमद** की ओर से 15,00,000 / —(पन्द्राह लाख रूपए) का सुपुर्दनामा एवं खास मुख्तियारनामा दस्तावेजों की नोटरी सत्यापित प्रति, आधार कार्ड पेश किया गया, जो प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर तस्दीक उपरांत स्वीकार किया गया।

सुपुर्दनामा आदेश जारी किया जावे।

सुपुर्दनामा प्रकरण समाप्त। अभिलेख व्यवस्थित कर अभियोग पत्र प्रस्तुति पर मूल प्रकरण संलग्न हो अन्यथा अभिलेखागार प्रेषित हो।

सही / —
(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर—चांपा(छ0ग0)

प्रतिलिपि :—

01. माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जांजगीर को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर—चांपा(छ0ग0)

18/10/2022 राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

आवेदक/सुपुर्ददार सहित अधिवक्ता श्री संजय सोयेत्रा उपस्थित।

प्रकरण धारा 451 द.प्र.सं. आवेदन पर तर्क/विचार हेतु नियत है।

थाना से सुपुर्दनामा आवेदन के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त।

सुपुर्दनामा आवेदन पर तर्क श्रवण किया गया।

आवेदक/सुपुर्ददार प्रकाश इंडस्ट्रीज द्वारा आम मुख्तियार महेन्द्र कुमार सिंह की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस प्रकार है कि थाना बिर्रा में **जप्तशुदा वाहन ट्रेलर कमांक सी. जी. 13 एल.ए. 3996** जिसका ईजन नंबर 400951D0012948 एवं चेचिस नंबर MEC2812CLEPO12734 को जप्त किया गया है। जप्त किया गया है। उक्त जप्तशुदा वाहन **प्रकाश इंडस्ट्रीज** के नाम से पंजीकृत है। प्रकाश इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर श्री एम.एल.पारिक के द्वारा आवेदक/सुपुर्ददार परिवहन अधिकारी **महेन्द्र कुमार सिंह** को आम मुख्तियार नियुक्त किया गया है, वह जप्तशुदा वाहन को आम मुख्तियार की हैसियत से न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दनामें पर प्राप्त करना चाहता है। उक्त जप्तशुदा वाहन के थाने में खुली अवस्था में पड़े रहने के कारण उसके कलपुर्जे एवं इंजन में खराबी आने की संभावना है। वह जप्तशुदा वाहन को न्यायालय से सुपुर्दनामा पर प्राप्त करना चाहता है तथा सुपुर्दनामें पर प्रदान किये जाने पर समस्त न्यायिक शर्तों का पालन करने वचनबद्ध है। अस्तु **जप्तशुदा वाहन ट्रेलर कमांक सी.जी. 13 एल.ए. 3996 को मय दस्तावेज व चाबी सहित** सुपुर्दनामे पर दिये जाने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सुपुर्दनामा आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

तर्क एवं निवेदन के परीप्रेक्ष्य में केस डायरी के अवलोकन से यह दर्शित है कि थाना बिर्रा में अपराध क्रमांक–139/22 अंतर्गत धारा धारा 308 भा0द0वि0 एवं 184, 185 मोटर यान अधिनियम में संलग्न जप्ती पत्रक मुताबिक अन्य संपत्ति के साथ **जप्तशुदा वाहन ट्रेलर क्रमांक सी.जी. 13 एल.ए. 3996 को मय दस्तावेज व चाबी सहित को** जप्त किया गया है। फिटनेस सर्टिफिकेट, अनुज्ञा पत्र, बीमा प्रपत्र के अवलोकन से जप्तशुदा आवेदित वाहन **जप्तशुदा वाहन ट्रेलर क्रमांक सी.जी. 13 एल.ए. 3996 को मय दस्तावेज व चाबी सहित आवेदक/सुपुर्ददार प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा** के नाम से पंजीकृत होना दर्शित है। उक्त वाहन को सुपुर्दनामा में लेने के लिए **महेन्द्र कुमार सिंह** को मुख्तियार आम नियुक्त किया गया है। आवेदन संलग्न मूल बीमा दस्तावेज से घटना समय वाहन बीमित होना भी दर्शित है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आम मुख्तियारनामा तथा आधार कार्ड की छायाप्रति प्रति प्रस्तुत है। आम मुख्तियारनामा **प्रकाश इंडस्ट्रीज** द्वारा आवेदक/सुपुर्ददार **महेन्द्र कुमार सिंह** को समस्त मामले में उनकी ओर से उपस्थित होकर सक्षम प्राधिकार के समक्ष समुचित कार्यवाही सम्पन्न करने अधिकृत किया गया है। आम मुख्तियारनामा की मूल प्रति अवलोकन उपरांत आवेदक के अधिवक्ता को वापस लौटाई गयी। थाने से प्राप्त प्रतिवेदन में जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामा में दिये जाने पर आपत्ति की गयी है। जप्तशुदा वाहन मशीनरी वस्तु है एवं असुरक्षित अवस्था में रखे जाने से यांत्रिक कमी एवं गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ऐसी दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत–सुंदरलाल अंबालाल देसाई वि. गुजरात राज्य, स्पेशल लिव पिटीशन क्रिमीनल 2745/2022, दिनांक 01.01.2002 में प्रतिपादित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में उक्त वाहन **जप्तशुदा वाहन ट्रेलर क्रमांक सी.जी. 13 एल.ए. 3996 को मय दस्तावेज व**

चाबी सहित को आवेदक/सुपुर्ददार को सुपुर्दनामा में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से 25,00,000/—(पच्चीस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा तथा उक्त वाहन एवं आम मुख्तियारनामा दस्तावेजों की नोटरी सत्यापित प्रति, आवेदक/सुपुर्ददार के आधार कार्ड सहित प्रस्तुत किये जाने पर **जप्तशुदा वाहन ट्रेलर क्रमांक सी.जी. 13 एल.ए. 3996 को मय दस्तावेज व चाबी सहित (अभियुक्त का चालन अनुज्ञप्ति को छोड़कर)** को निम्न शर्तो के अधीन आवेदक/सुपुर्ददार/आम मुख्यितार **महेन्द्र कुमार सिंह** को सुपुर्दनामे में दी जावे —

01— आवेदक/सुपुर्ददार/आम मुख्यितार उक्त वाहन के स्वत्व एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

02— न्यायालय जब कभी उक्त वाहन को पेश करने के लिये आदेशित करेगा, आवेदक/सुपुर्ददार/आम मुख्यितार स्वयं के व्यय पर वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

03— आवेदक/सुपुर्ददार/आम मुख्यितार वाहन को किसी अन्य को हस्तांतरित या विक्रय नहीं करेगा।

04— आवेदक/सुपुर्ददार/आम मुख्यितार विवेचना व विचारण में सहयोग करेगा।

05— अपने पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

प्रकरण सुपुर्दनामा आदेश के पालन हेतु—

सही/—
(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर—चांपा(छ0ग0)

पश्चात,

आदेशानुसार आवेदक/सुपुर्ददार/आम मुख्तियार **महेन्द्र कुमार सिंह पिता बृजनाथ सिंह** की ओर से 25,00,000/—(पच्चीस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा एवं आम मुख्तियारनामा दस्तावेजों की नोटरी सत्यापित प्रति, आधार

कार्ड पेश किया गया, जो प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर तस्दीक उपरांत स्वीकार किया गया।

सुपुर्दनामा आदेश जारी किया जावे।

सुपुर्दनामा प्रकरण समाप्त। अभिलेख व्यवस्थित कर अभियोग पत्र प्रस्तुति पर मूल प्रकरण संलग्न हो अन्यथा अभिलेखागार प्रेषित हो।

सही/–
(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर–चांपा(छ0ग0)

01/10/2022 आवेदक/सुपुर्ददार गोरेलाल जाटवर द्वारा अधिवक्ता श्री राजन फुल्लर अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण सुपुर्दनामा आवेदन पत्र तर्क/विचार हेतु नियत है।

थाना चांपा से अपराध क्रमांक–263/22 अंतर्गत धारा 304–ए भा.द.सं. की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

सुपुर्दनामा आवेदन पर तर्क श्रवण किया।

आवेदक/सुपुर्ददार **गोरेलाल जाटवर** की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस प्रकार है कि थाना चांपा **जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर महिन्द्रा क्र. सी.जी. 04 डी.बी. 3589 मय दस्तावेज एवं चाबी सहित** जप्त किया गया है। उक्त जप्तशुदा वाहन का स्वामी आवेदक/सुपुर्ददार के नाम से पंजीकृत है। उक्त जप्तशुदा वाहन के थाने में खुली अवस्था में पड़े रहने के कारण उसके कलपुर्जे एवं इंजन में खराबी आने की संभावना है। वह जप्तशुदा वाहन को न्यायालय से सुपुर्दनामा पर प्राप्त करना चाहता है तथा सुपुर्दनामे पर प्रदान किये जाने पर समस्त न्यायिक शर्तों का पालन करने वचनबद्ध है। अस्तु **जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर महिन्द्रा क्र. सी.जी. 04 डी.बी. 3589 मय दस्तावेज एवं चाबी सहित** सुपुर्दनामे पर दिये जाने का निवेदन किया गया है।

नाम से पंजीकृत होना दर्शित है। केस डायरी से दर्शित है कि थाना चांपा जिला जांजगीर चांपा के अपराध क्रं0–263/2022, अंतर्गत धारा 304–ए भा0दं0सं0 के केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि घटना दिनांक 15/05/2022 को **वाहन ट्रेक्टर महिन्द्रा क. सी.जी. 04 डी.बी. 3589** के चालक के द्वारा उक्त वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए दुर्घटना कारित किया, जिससे मृतक हिमांशु जाटवर को गंभीर चोंट आने से उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त संबंध में दर्ज अपराध की विवेचना के दौरान उक्त दुर्घटना कारित वाहन को जप्त किया गया है। केस डायरी में संलग्न वाहन के आर0सी0 बुक के अवलोकन से उक्त जप्तशुदा वाहन आवेदक के नाम से पंजीकृत है। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रकरण के निराकरण में विलंब संभव है और उक्त वाहन पर अन्य किसी ने दावा नहीं किया है। इस प्रकार आवेदक उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी होना प्रतीत होता है। आवेदक/सुपुर्ददार द्वारा वाहन का बीमा प्रपत्र पेश नही किया गया है जिससे दर्शित है कि उक्त वाहन घटना दिनांक 15/05/2022 को बीमित नही है।

आवेदक की ओर से घटना दिनांक 15/05/22 को वाहन के बीमित होने के संबंध में कोई जानकारी/दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। धारा 240–ए मोटर यान नियम 1994 के अनुसार एवं माननीय छ0ग0उच्च न्यायालय, बिलासपुर के

सी0आर0एम0पी0 नंबर–924/20, पक्षकार गरीबराम वि0 छ0ग0राज्य में पारित आदेश के अनुसार दुर्घटना कारित वाहन को बीमा पालिसी के अभाव में प्रतिकर हेतु पर्याप्त सुरक्षा पर ही रिहा किया जा सकता है। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रकरण के निराकरण में विलंब संभव है और उक्त वाहन पर अन्य किसी ने दावा नहीं किया है। उक्त वाहन दैनिक उपयोग की वस्तु है, जिसके न रहने से उसे परेशानी हो रही होगी तथा वाहन के अन्यत्र पुलिस थाने में खड़े रहने से उसमें तकनीकी खराबी आ सकती है। वाहन का अंतिम निराकरण नहीं किया जा रहा है, अंतरिम आदेश पारित किया जा रहा है। संबंधित थाना द्वारा भी वाहन को आवेदक को सुपुर्दनामा में दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।

अतः उपरोक्त अवलोकन एंव विचार पश्चात् आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है, चूंकि घटना दिनांक को दुर्घटना कारित वाहन बीमित नहीं थी, अतः छ0ग0 मोटर यान नियम 1994 के नियम 240–ए के परिप्रेक्ष्य में आदेशित किया जाता है कि आवेदक/सुपुर्ददार द्वारा स्वंय का 10,00,000/–रूपये (दस लाख रूपये) का सुपुर्दनामा एवं 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का सक्षम जमानत प्रस्तुत किये जाने पर प्रश्नाधीन **वाहन ट्रेक्टर महिन्द्रा क्र. सी.जी. 04 डी.बी. 3589 को मय दस्तावेज (ड्रायविंग लायसेंस एवं ट्राली को छोड़कर)** निम्नलिखित शर्तो के अधीन सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु थाना चांपा को इस टीप सहित ज्ञापन प्रेषित किया जावे कि वाहन का मैकेनिकल मुलाहिजा उपरांत वाहन सौपा जावे :–

<u>शर्तः–</u> 1. आवेदक वाहन के स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा।

2. आवेदक वाहन को, न्यायालय जब कभी भी आदेशित करे, न्यायालय के समक्ष स्वयं के व्यय पर प्रस्तुत करेगा तथा विवेचना में आवश्यकता होने पर भी पेश करेगा।

3. आवेदक वाहन को किसी भी अन्य व्यक्ति को अंतरित या विक्रय नहीं करेगा।

4. उक्त वाहन के समस्त दस्तावेज की दो सत्यापित प्रति प्रकरण मे संलग्न करेगा।

5. आवेदक सुपुर्दनामा पत्र के साथ पहचान संबंधी दस्तावेंज की सत्यापित प्रति पेश करेगा।

उक्त आदेश का पालन करने पर सुपुर्दनामा आदेश जारी किया जावे।

<u>**नोटः–**उक्त आदेश का पालन करने पर सुपुर्दनामा आदेश इस निर्देश के साथ जारी किया जावे कि वाहन को सुपुर्दनामा में दिये जाने के पूर्व उसके फोटोग्राफ लिया जावे तथा अभियोग पत्र के साथ संलग्न कर पेश किया जावे।</u>

केस डायरी संबंधित थाना को वापस कर उपस्थित पुलिस अधिकारी से पावती ली जावे।

प्रकरण सुपुर्दनामा आदेश के पालन हेतु–

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चांपा जिला जांजगीर चांपा (छ0ग0)

<u>पुनश्च,</u>

आदेशानुसार उक्त शर्तों के अधीन आवेदक **गोरेलाल जाटवर** की ओर से 10,00,000/–(शब्दो में दस लाख रूपये) का सुपुर्दनामा तथा उक्त वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों की नोटरी सत्यापित प्रति, आधार कार्ड सहित पेश किया गया है,पेश किया गया एवं 50,000/– रुपये राशि का सक्षम जमानतदार...

....

के द्वारा आवेदक के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गयी, जो प्रथम दृष्टया सक्षम एवं सही पाये जाने पर तस्दीक उपरांत जमानत स्वीकार किया गया।

जमानतदार सहित सुपुर्ददार का आधार कार्ड की प्रति एवं जमानत संबंधी प्रस्तुत भूमि/संपत्ति संबंधी समस्त राजस्व दस्तावेजों की प्रति जरिये ज्ञापन सहित संबंधित राजस्व अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया जावे, ताकि उक्त दस्तावेजों की वास्तविकता की जांच माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा **CRMP. No. 62 of 2018 (Ved Prakash Gupta @ Gudda v. State of Chhattisgarh)** में दिनांक 01/02/2018 में पारित निर्देश के परिप्रेक्ष्य में की जा सके।

राजस्व अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन विलंब से प्रस्तुत करने तथा कृषकों को मूल ऋण पुस्तिका की आवश्यकता कृषि कार्य में होने से ऋण पुस्तिका की प्रमाणित प्रति अभिलेख में संलग्न की जावे तथा प्रमाणित प्रति की अन्य छायाप्रति ज्ञापन के साथ प्रेषित की जावे। मूल ऋण पुस्तिका वापस कर पावती ली जाये।

संबधित थाने को सुपुर्दनामा आदेश जारी किया जावे।

प्रकरण अभिलेख अभियोग पत्र प्रस्तुति पर मूल प्रकरण संलग्न हो अन्यथा व्यवस्थित कर अभिलेखागार प्रेषित हो।

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चांपा जिला जांजगीर चांपा (छ0ग0)

तर्क एवं निवेदन के परीप्रेक्ष्य में केस डायरी अवलोकन से यह दर्शित है कि थाना चांपा अपराध क्रमांक–263/22 अंतर्गत धारा धारा 304–ए भा0द0वि0 संलग्न जप्ती पत्रक मुताबिक **जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर महिन्द्रा क. सी. जी. 04 डी.बी. 3589 मय दस्तावेज एवं चाबी सहित** एवं वाहन का आर.सी. बुक, ड्रायविंग लासंसेंस को जप्त किया गया है। केस डायरी संलग्न मूल आर0सी0 बुक के अवलोकन से जप्तशुदा आवेदित **जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर महिन्द्रा क. सी.जी. 04 डी.बी. 3589** आवेदक/सुपुर्ददार **गोरेलाल जाटवर** के नाम से पंजीकृत होना दर्शित है। आवेदक/सुपुर्ददार द्वारा मूल दस्तावेज के संबंध में नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर, शपथपत्र पेश की गयी। थाने से प्राप्त प्रतिवेदन में जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामा में दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। जप्तशुदा वाहन मशीनरी वस्तु है एवं असुरक्षित अवस्था में रखे जाने से यांत्रिक कमी एवं गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ऐसी दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत–सुंदरलाल अंबालाल देसाई वि. गुजरात राज्य, स्पेशल लिव पिटीशन क्रिमीनल 2745/2022, दिनांक 01.01.2002 में प्रतिपादित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से से 10,00,000/–(दस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा तथा वाहन के दस्तावेजों की नोटरी की सत्यप्रतिलिपि पेश उक्त आवेदक/सुपुर्ददार के आधार कार्ड सहित प्रस्तुत किये जाने पर **जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर महिन्द्रा क. सी.जी. 04 डी.बी. 3589 मय दस्तावेज एवं चाबी सहित (अभियुक्त का चालन अनुज्ञप्ति को छोड़कर)** को निम्न शर्तो के अधीन आवेदक/सुपुर्ददार को सुपुर्दनामे में दी जावे–

01– आवेदक/सुपुर्ददार उक्त वाहन के स्वत्व एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

02— न्यायालय जब कभी उक्त वाहन को पेश करने के लिये आदेशित करेगा, आवेदक/सुपुर्ददार स्वयं के व्यय पर वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

03— आवेदक/सुपुर्ददार वाहन को किसी अन्य को हस्तांतरित या विक्रय नहीं करेगा।

04— आवेदक/सुपुर्ददार विवेचना व विचारण में सहयोग करेगा।

05— अपने पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

प्रकरण की केस डायरी वापस हो।

प्रकरण सुपुर्दनामा आदेश के पालन हेतु—

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर—चांपा(छ0ग0)

<u>पश्चात,</u>

आदेशानुसार आवेदक/सुपुर्ददार **गोरेलाल जाटवर** की ओर से 10,00,000/—(दस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा एवं उक्त वाहन एवं दस्तावेजों की नोटरी सत्यापित प्रति, आधार कार्ड पेश किया गया, जो प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर तस्दीक उपरांत स्वीकार किया गया। सुपुर्दनामा आदेश जारी किया जावे।

सुपुर्दनामा प्रकरण समाप्त। अभिलेख व्यवस्थित कर अभियोग पत्र प्रस्तुति पर मूल प्रकरण संलग्न हो अन्यथा अभिलेखागार प्रेषित हो।

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर—चांपा(छ0ग0)

पश्चात्

इसी स्तर पर आवेदक/सुपुर्ददार **रंजीत सिंह** सहित अधिवक्ता श्री लक्ष्मी बंजारे उपस्थित होकर प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति ट्रेलर वाहन को सुपुर्दनामा में दिये जाने बाबत एक आवेदन अंतर्गत धारा 457 द0प्र0सं0 पेश किया।

प्रकरण सुपुर्दनामा आवेदन पर तर्क/विचार हेतु नियत है।

सुपुर्दनामा आवेदन पर तर्क श्रवण किया गया।

आवेदक/सुपुर्ददार **रंजीत सिंह** की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय के समक्ष द.प्र.क्र. 694/22 अंतर्गत धारा 279 भा0द0वि0 एवं धारा 3 लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला लंबित है जिसकी पेशी दिनांक 29.09.2022 है। उक्त दुर्घटना कारित **वाहन ट्रेलर क. पी0बी0 02 डी0पी0 2655 मय कागजात एवं चाबी** के जप्त किया गया है। उक्त जप्तशुदा वाहन का स्वामी आवेदक/सुपुर्ददार के नाम से पंजीकृत है। उक्त जप्तशुदा वाहन के थाने में खुली अवस्था में पड़े रहने के कारण उसके कलपुर्जे एवं इंजन में खराबी आने की संभावना है। वह जप्तशुदा वाहन को न्यायालय से सुपुर्दनामा पर प्राप्त करना चाहता है तथा सुपुर्दनामे पर प्रदान किये जाने पर समस्त न्यायिक शर्तों का पालन करने वचनबद्ध है। अस्तु जप्तशुदा **वाहन ट्रेलर क्र. पी0बी0 02 डी0पी0 2655** मय कागजात एवं चाबी सहित सुपुर्दनामें पर दिये जाने का निवेदन किया गया है।

तर्क एवं निवेदन के परीप्रेक्ष्य में केस डायरी अवलोकन से यह दर्शित है कि थाना चांपा अपराध क्रमांक–358/22 अंतर्गत धारा धारा 279 भा0द0वि0 एवं धारा

3 लोक संपत्ति निवारण अधिनियम संलग्न जप्ती पत्रक मुताबिक जप्तशुदा **वाहन ट्रेलर क्र. पी0बी0 02 डी0पी0 2655 मय कागजात एवं चाबी** एवं वाहन को आर.सी. बुक, बीमा, माल यान अनुज्ञा पत्र एवं आरोपी वाहन चालक का चालन अनुज्ञप्ति जप्त किया गया है। केस डायरी संलग्न मूल आर0सी0 बुक के अवलोकन से जप्तशुदा आवेदित वाहन जप्तशुदा **वाहन ट्रेलर क्र. पी0बी0 02 डी0पी0 2655 मय कागजात एवं चाबी** आवेदक/सुपुर्ददार **रंजीत सिंह** के नाम से पंजीकृत होना दर्शित है। आवेदन संलग्न मूल बीमा दस्तावेज से घटना समय वाहन बीमित होना भी दर्शित है। थाने से प्राप्त प्रतिवेदन में जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामा में दिये जाने पर कोई आपत्ति की गयी है। जप्तशुदा वाहन मशीनरी वस्तु है एवं असुरक्षित अवस्था में रखे जाने से यांत्रिक कमी एवं गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ऐसी दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत–सुंदरलाल अंबालाल देसाई वि. गुजरात राज्य, स्पेशल लिव पिटीशन क्रिमीनल 2745/2022, दिनांक 01.01.2002 में प्रतिपादित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में उक्त वाहन जप्तशुदा **वाहन ट्रेलर क्र. पी0बी0 02 डी0पी0 2655 मय कागजात एवं चाबी** को आवेदक/सुपुर्ददार को सुपुर्दनामा में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से 25,00,000/–(पच्चीस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा तथा वाहन के दस्तावेजों की नोटरी की सत्यप्रतिलिपि पेश उक्त आवेदक/सुपुर्ददार के आधार कार्ड सहित प्रस्तुत किये जाने पर जप्तशुदा **वाहन ट्रेलर क्र. पी0बी0 02 डी0पी0 2655 मय कागजात एवं चाबी (अभियुक्त का चालन अनुज्ञप्ति को छोड़कर)** को निम्न शर्तो के अधीन आवेदक/सुपुर्ददार को सुपुर्दनामे में दी जावे–

01– आवेदक/सुपुर्ददार उक्त वाहन के स्वत्व एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

02– न्यायालय जब कभी उक्त वाहन को पेश करने के लिये आदेशित करेगा, आवेदक/सुपुर्ददार स्वयं के व्यय पर वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

03– आवेदक/सुपुर्ददार वाहन को किसी अन्य को हस्तांतरित या विक्रय नहीं करेगा।

04– आवेदक/सुपुर्ददार विवेचना व विचारण में सहयोग करेगा।

05– अपने पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

06– आवेदक/सुपुर्ददार को निर्देशित किया जाता है कि विश्वेश्वरैया द्वार का मरम्मत कराकर पालन प्रतिवेदन इस न्यायालय को प्रेषित करे।

प्रकरण सुपुर्दनामा आदेश के पालन हेतु–

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर–चांपा(छ0ग0)

<u>पश्चात,</u>

आदेशानुसार **आवेदक/सुपुर्ददार रंजीत सिह पिता सुखविन्द्रर सिंग उम्र 43 वर्ष** की ओर से 25,00,000/—(पच्चीस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा एवं उक्त वाहन एवं दस्तावेजों की नोटरी सत्यापित प्रति, आधार कार्ड पेश किया गया, जो प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर तस्दीक उपरांत स्वीकार किया गया। सुपुर्दनामा आदेश जारी किया जावे।

प्रकरण पूर्ववतः—

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर—चांपा(छ0ग0)

दुर्घटना में पूरी तरह से कबाड़ हो गया है और रिपेयरिंग होने की स्थिति में नही है, जिसमें नेक्शा कंपनी के द्वारा वाहन को पूर्णतः कबाड़ घोषित कर दिया गया है। वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बीमा कंपनी वाले भी बीमा का रिस्क कव्हर नही दे रहे है और वाहन बरसात में बाहर में पड़ा हुआ है जिस कारण बरसात में पड़े रहने से वाहन के समस्त पुर्जे पूरी तरह से और नष्ट हो जायेगा जिससे आवेदक को 9,00,000/—रूपये का नुकसान हो रहा है। जप्तशुदा वाहन आवेदक/सुपुर्ददार, सुपुर्दनामा में प्राप्त कर चुका है, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण के लंबित अवस्था तक विक्रय न किये जाने की शर्त पर सुपुर्दनामा पर लिया है, लेकिन वाहन नेक्शा कंपनी के अंदर रखा है जिसे पड़े रहने से वाहन का किराया लेना चालू कर देंगे जो आवेदक के लिए अतिरिक्त भार होगा। वाहन को किसी तरह विक्रय कर या उसे रिपेयरिंग कराने का प्रयास आवेदक करेगा तो निश्चित ही उसके रंग रूप में परिवर्तित होगा और अगर विक्रय या रंग रूप में परिवर्तन नहीं किया जाता तो उक्त घटना कारित वाहन पूरी तरह से कबाड़ होकर नष्ट हो जायेगा जिससे आवेदक को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अस्तु उक्त वाहन को लंबित प्रकरण के विचारण में निश्चित ही विलंब होने की संभावना है और प्रकरण के लंबित अवस्था तक

उक्त वाहन को यथावत स्थिति में रखा जाना संभव नही है, इसलिए उक्त दुर्घटना कारित **वाहन बलेनो क्र. सी.जी. 10 बी.एफ 8356 को** विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया गया।

तर्क एवं निवेदन के परीप्रेक्ष्य में प्रकरण अवलोकन का अवलोकन किया गया, प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि थाना चांपा अपराध क्रमांक–178/22 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0द0वि0 संलग्न जप्ती पत्रक मुताबिक जप्तशुदा **वाहन बलेनो क्र. सी.जी. 10 बी.एफ 8356** जप्त किया गया है, जिसे आवेदक/सुपुर्ददार द्वारा दिनांक 02.07.2022 को न्यायालय से सुपुर्दनामा में प्राप्त कर चुका है। आवेदक द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त वाहन पूर्ण रूप से क्षतिगस्त हो गयी है और वाहन चलने योग्य नही है जिसके कारण उक्त वाहन को कबाड़ में देकर विक्रय किया जाना आवश्यक है। आवेदक/सुपुर्ददार **सत्येन्द्र कुमार सिंह जप्तशुदा वाहन का स्वामी है तथा** आवेदक/सुपुर्ददार द्वारा प्रस्तुत क्षतिग्रस्त वाहन को फोटोग्राफ एवं दस्तावेज से दर्शित है कि जप्तशुदा वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है और उक्त वाहन को ऐसे खुले अवस्था में रखे जाने से यांत्रिक कमी एवं गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा वाहन का रिपेयरिंग अथवा विक्रय नही करने पर आवेदक/सुपुर्ददार को भारी नुकसान होने की संभावना है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त जप्तशुदा **वाहन बलेनो क्र. सी.जी. 10 बी.एफ 8356** को आवेदक/सुपुर्ददार को व्रिकय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रकरण पूर्ववत आरोप पूर्व तर्क हेतु–18.11.2022

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर–चांपा(छ0ग0)

27/09/2022 राज्य द्वारा एडीपीओ अनुपस्थित।

आवेदक/सुपुर्ददार सहित अधिवक्ता श्री गणेश शर्मा।

प्रकरण धारा 451 द.प्र.सं. आवेदन पर तर्क/विचार हेतु नियत है।

थाना से सुपुर्दनामा आवेदन के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त।

सुपुर्दनामा आवेदन पर तर्क श्रवण किया गया।

आवेदक/सुपुर्ददार धमेन्द्र राठौर द्वारा खास मुख्तियार रविन्द्र कुमार की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस प्रकार है कि थाना चांपा में **जप्तशुदा वाहन स्वीप्ट VDI कार कमांक सी.जी. 12 ए.एन. 9991 मय चाबी सहित** जप्त किया गया है। उक्त जप्तशुदा वाहन **धर्मेन्द्र कुमार राठौर** के नाम से पंजीकृत है। आवेदक/सुपुर्ददार **रविन्द्र कुमार राठौर** को खास मुख्तियार नियुक्त किया गया है, वह जप्तशुदा वाहन को खास मुख्तियार की हैसियत से न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दनामें पर प्राप्त करना चाहता है। उक्त जप्तशुदा वाहन के थाने में खुली अवस्था में पड़े रहने के कारण उसके कलपुर्जे एवं इंजन में खराबी आने की संभावना है। वह जप्तशुदा वाहन को न्यायालय से सुपुर्दनामा पर प्राप्त करना चाहता है तथा सुपुर्दनामें पर प्रदान किये जाने पर समस्त न्यायिक शर्तों का पालन करने वचनबद्ध है। अस्तु **जप्तशुदा वाहन स्वीप्ट VDI कार कमांक सी.जी. 12 ए.एन. 9991 मय चाबी सहित** सुपुर्दनामे पर दिये जाने का निवेदन किया गया है।

तर्क एवं निवेदन के परीप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन से यह दर्शित है कि चांपा में अपराध कमांक–375/22 अंतर्गत धारा धारा 294, 506, 323, 427, 34 भा0द0वि0 संलग्न जप्ती पत्रक मुताबिक अन्य संपत्ति के साथ **जप्तशुदा वाहन स्वीप्ट VDI कार कमांक सी.जी. 12 ए.एन. 9991 मय चाबी सहित**

जप्त किया गया है। मूल आर0सी0 बुक के अवलोकन से जप्तशुदा आवेदित वाहन **जप्तशुदा वाहन स्वीप्ट VDI कार कमांक सी.जी. 12 ए.एन. 9991 आवेदक/सुपुर्ददार धर्मेन्द्र कुमार राठौर** के नाम से पंजीकृत होना दर्शित है उक्त वाहन सोल्ड वाहन था। उक्त वाहन को सुपुर्दनामा में लेने के लिए **रविन्द्र कुमार राठौर** को मुख्तियार खास नियुक्त किया गया है। आवेदन संलग्न मूल बीमा दस्तावेज से घटना समय वाहन बीमित होना भी दर्शित है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा खास मुख्तियारनामा तथा आर्ड कार्ड की छायाप्रति प्रति प्रस्तुत है। खास मुख्तियारनामा **रविन्द्र कुमार राठौर** द्वारा आवेदक/सुपुर्ददार **धर्मेन्द्र कुमार राठौर** को समस्त मामले में उनकी ओर से उपस्थित होकर सक्षम प्राधिकार के समक्ष समुचित कार्यवाही सम्पन्न करने अधिकृत किया गया है। खास मुख्तियारनामा की मूल प्रति अवलोकन उपरांत आवेदक के अधिवक्ता को वापस लौटाई गयी। थाने से प्राप्त प्रतिवेदन में जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामा में दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। जप्तशुदा वाहन मशीनरी वस्तु है एवं असुरक्षित अवस्था में रखे जाने से यांत्रिक कमी एवं गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से 10,00,000/—(दस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा तथा उक्त वाहन एवं खास मुख्तियारनामा दस्तावेजों की नोटरी सत्यापित प्रति, आवेदक/सुपुर्ददार के आधार कार्ड सहित प्रस्तुत किये जाने पर **जप्तशुदा वाहन स्वीप्ट VDI कार कमांक सी.जी. 12 ए.एन.**

9991 मय चाबी सहित (अभियुक्त का चालन अनुज्ञप्ति को छोड़कर) को निम्न शर्तो के अधीन आवेदक/सुपुर्ददार/खास मुख्यितार **रविन्द्र कुमार राठौर** को सुपुर्दनामे में दी जावे–

01– आवेदक/सुपुर्ददार/खास मुख्यितार उक्त वाहन के स्वत्व एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

02– न्यायालय जब कभी उक्त वाहन को पेश करने के लिये आदेशित करेगा, आवेदक/सुपुर्ददार/खास मुख्यितार स्वयं के व्यय पर वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

03– आवेदक/सुपुर्ददार/खास मुख्यितार वाहन को किसी अन्य को हस्तांतरित या विक्रय नहीं करेगा।

04– आवेदक/सुपुर्ददार/खास मुख्यितार विवेचना व विचारण में सहयोग करेगा।

05– अपने पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

प्रकरण सुपुर्दनामा आदेश के पालन हेतु–

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर–चांपा(छ0ग0)

<u>**पश्चात,**</u>

आदेशानुसार आवेदक/सुपुर्ददार/खास मुख्तियार **रविन्द्र कुमार राठौर पिता शिवकुमार राठौर निवासी सारागांव** की ओर से 10,00,000/–(दस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा एवं खास मुख्तियारनामा दस्तावेजों की नोटरी सत्यापित प्रति, आधार कार्ड पेश किया गया, जो प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर तस्दीक उपरांत स्वीकार किया गया। सुपुर्दनामा आदेश जारी किया जावे।

प्रकरण पूर्ववत आरोप पूर्व तर्क हेतु—

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर—चांपा(छ0ग0)

20/09/2022 राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. अनुपस्थित।

आवेदक/सुपुर्ददार **सत्येन्द्र कुमार सिंह** सहित अधिवक्ता श्री एस0के0बघेल उपस्थित।

प्रकरण सुपुर्दनामा आवेदन पर तर्क/विचार हेतु नियत है।

सुपुर्दनामा आवेदन पर तर्क श्रवण किया गया।

आवेदक/सुपुर्ददार **सत्येन्द्र कुमार सिंह** की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय के समक्ष

द.प्र.क्र. 455/22 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0द0वि0 के अंतर्गत मामला लंबित है जिसकी पेशी दिनांक 18.11.2022 है। उक्त दुर्घटना कारित **वाहन बलेनो क्र. सी.जी. 10 बी.एफ 8356** दुर्घटना में पूरी तरह से कबाड़ हो गया है और रिपेयरिंग होने की स्थिति में नही है, जिसमें नेक्शा कंपनी के द्वारा वाहन को पूर्णतः कबाड़ घोषित कर दिया गया है। वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बीमा कंपनी वाले भी बीमा का रिस्क कव्हर नही दे रहे है और वाहन बरसात में बाहर में पड़ा हुआ है जिस कारण बरसात में पड़े रहने से वाहन के समस्त पुर्जे पूरी तरह से और नष्ट हो जायेगा जिससे आवेदक को 9,00,000/—रूपये का नुकसान हो रहा है। जप्तशुदा वाहन आवेदक/सुपुर्ददार, सुपुर्दनामा में प्राप्त कर चुका है, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण के लंबित अवस्था तक विक्रय न किये जाने की शर्त पर सुपुर्दनामा पर लिया है, लेकिन वाहन नेक्शा कंपनी के अंदर रखा है जिसे पड़े रहने से वाहन का किराया लेना चालू कर देंगे जो आवेदक के लिए अतिरिक्त भार होगा। वाहन को किसी तरह विक्रय कर या

उसे रिपेयरिंग कराने का प्रयास आवेदक करेगा तो निश्चित ही उसके रंग रूप में परिवर्तित होगा और अगर विक्रय या रंग रूप में परिवर्तन नहीं किया जाता तो उक्त घटना कारित वाहन पूरी तरह से कबाड़ होकर नष्ट हो जायेगा जिससे आवेदक को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अस्तु उक्त वाहन को लंबित प्रकरण के विचारण में निश्चित ही विलंब होने की संभावना है और प्रकरण के लंबित अवस्था तक

उक्त वाहन को यथावत स्थिति में रखा जाना संभव नही है, इसलिए उक्त दुर्घटना कारित **वाहन बलेनो क्र. सी.जी. 10 बी.एफ 8356 को** विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया गया।

तर्क एवं निवेदन के परीप्रेक्ष्य में प्रकरण अवलोकन का अवलोकन किया गया, प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि थाना चांपा अपराध क्रमांक–178/22 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0द0वि0 संलग्न जप्ती पत्रक मुताबिक जप्तशुदा **वाहन बलेनो क्र. सी.जी. 10 बी.एफ 8356** जप्त किया गया है, जिसे आवेदक/सुपुर्ददार द्वारा दिनांक 02.07.2022 को न्यायालय से सुपुर्दनामा में प्राप्त कर चुका है। आवेदक द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त वाहन पूर्ण रूप से क्षतिगस्त हो गयी है और वाहन चलने योग्य नही है जिसके कारण उक्त वाहन को कबाड़ में देकर विक्रय किया जाना आवश्यक है। आवेदक/सुपुर्ददार **सत्येन्द्र कुमार सिंह जप्तशुदा वाहन का स्वामी है तथा** आवेदक/सुपुर्ददार द्वारा प्रस्तुत क्षतिग्रस्त वाहन को फोटोग्राफ एवं दस्तावेज से दर्शित है कि जप्तशुदा वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है और उक्त वाहन को ऐसे खुले अवस्था में रखे जाने से यांत्रिक कमी एवं गुणवत्ता प्रभावित होने की

संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा वाहन का रिपेयरिंग अथवा विक्रय नही करने पर आवेदक/सुपुर्ददार को भारी नुकसान होने की संभावना है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त जप्तशुदा **वाहन बलेनो क्र. सी.जी. 10 बी.एफ 8356** को आवेदक/सुपुर्ददार को व्रिकय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रकरण पूर्ववत आरोप पूर्व तर्क हेतु–18.11.2022

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर–चांपा(छ0ग0)

14/09/2022 राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

आवेदक/सुपुर्ददार सहित अधिवक्ता श्री लक्ष्मी बंजारे उपस्थित।

प्रकरण सुपुर्दनामा आवेदन पर तर्क/विचार हेतु नियत है।

थाना बम्हनीडीह के अपराध क्र. 62/22 की केस डायरी प्राप्त।

सुपुर्दनामा आवेदन पर तर्क श्रवण किया गया।

आवेदक/सुपुर्ददार **नरेन्द्र कुमार सिंह** की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस प्रकार है कि थाना बम्हनीडीह जप्तशुदा **वाहन स्कार्पियो क्र. सी.जी. 10 जेड 5630 मय कागजात एवं चाबी** के जप्त किया गया है। उक्त जप्तशुदा वाहन का स्वामी आवेदक/सुपुर्ददार के नाम से पंजीकृत है। उक्त जप्तशुदा वाहन के थाने में खुली अवस्था में पड़े रहने के कारण उसके कलपुर्जे एवं इंजन में खराबी आने की संभावना है। वह जप्तशुदा वाहन को न्यायालय से सुपुर्दनामा पर प्राप्त करना चाहता है तथा सुपुर्दनामे पर प्रदान किये जाने पर समस्त न्यायिक शर्तों का पालन करने वचनबद्ध है। अस्तु जप्तशुदा **वाहन स्कार्पियो क्र. सी.जी. 10 जेड 5630 मय कागजात एवं चाबी** सहित सुपुर्दनामें पर दिये जाने का निवेदन किया गया है।

तर्क एवं निवेदन के परीप्रेक्ष्य में केस डायरी अवलोकन से यह दर्शित है कि थाना बम्हनीडीह अपराध क्रमांक–62/22 अंतर्गत धारा 279 भा0द0वि0 संलग्न जप्ती पत्रक मुताबिक जप्तशुदा **वाहन स्कार्पियो क्र. सी.जी. 10 जेड 5630 मय कागजात एवं चाबी** एवं वाहन को आर.सी. बुक, बीमा, माल यान अनुज्ञा पत्र एवं आरोपी वाहन चालक का चालन अनुज्ञप्ति जप्त किया गया है। केस डायरी संलग्न मूल आर0सी0 बुक के अवलोकन से जप्तशुदा आवेदित वाहन जप्तशुदा **वाहन स्कार्पियो क्र. सी.जी. 10 जेड 5630 मय कागजात एवं चाबी** आवेदक/सुपुर्ददार **नरेन्द्र कुमार सिंह** के नाम से पंजीकृत होना दर्शित है। आवेदन संलग्न मूल बीमा दस्तावेज से घटना समय वाहन बीमित होना भी दर्शित है।

थाने से प्राप्त प्रतिवेदन में जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामा में दिये जाने पर कोई आपत्ति की गयी है। जप्तशुदा वाहन मशीनरी वस्तु है एवं असुरक्षित अवस्था में रखे जाने से यांत्रिक कमी एवं गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ऐसी दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत–सुंदरलाल अंबालाल देसाई वि. गुजरात राज्य, स्पेशल लिव पिटीशन क्रिमीनल 2745/2022, दिनांक 01.01.2002 में प्रतिपादित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में उक्त वाहन जप्तशुदा **वाहन स्कार्पियो क्र. सी.जी. 10 जेड 5630 मय कागजात एवं चाबी** को आवेदक/सुपुर्ददार को सुपुर्दनामा में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से 10,00,000/–(दस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा तथा वाहन के दस्तावेजों की नोटरी की सत्यप्रतिलिपि पेश उक्त आवेदक/सुपुर्ददार के आधार कार्ड सहित प्रस्तुत किये जाने पर जप्तशुदा **वाहन स्कार्पियो क्र. सी.जी. 10 जेड 5630 मय कागजात एवं चाबी (अभियुक्त का चालन अनुज्ञप्ति को छोड़कर)** को निम्न शर्तो के अधीन आवेदक/सुपुर्ददार को सुपुर्दनामे में दी जावे–

01– आवेदक/सुपुर्ददार उक्त वाहन के स्वत्व एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

02– न्यायालय जब कभी उक्त वाहन को पेश करने के लिये आदेशित करेगा, आवेदक/सुपुर्ददार स्वयं के व्यय पर वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

03— आवेदक/सुपुर्ददार वाहन को किसी अन्य को हस्तांतरित या विक्रय नहीं करेगा।

04— आवेदक/सुपुर्ददार विवेचना व विचारण में सहयोग करेगा।

05— अपने पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

प्रकरण की केस डायरी वापस हो।

प्रकरण सुपुर्दनामा आदेश के पालन हेतु—

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर—चांपा(छ0ग0)

<u>**पश्चात,**</u>

आदेशानुसार **आवेदक/सुपुर्ददार नरेन्द्र कुमार सिंह पिता चतुर सिंह कंवर उम्र 22 वर्ष** की ओर से 10,00,000/—(दस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा एवं उक्त वाहन एवं दस्तावेजों की नोटरी सत्यापित प्रति, आधार कार्ड पेश किया गया, जो प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर तस्दीक उपरांत स्वीकार किया गया। सुपुर्दनामा आदेश जारी किया जावे।

सुपुर्दनामा प्रकरण समाप्त। अभिलेख व्यवस्थित कर अभियोग पत्र प्रस्तुति पर मूल प्रकरण संलग्न हो अन्यथा अभिलेखागार प्रेषित हो।

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर—चांपा(छ0ग0)

06/08/2022 आवेदक/सुपुर्ददार द्वारा अधिवक्ता श्री संजय सोयेत्रा अधिवक्ता उपस्थित होकर एक आवेदन वास्ते जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार जप्तशुदा वाहन वेगनआर क्र. सी.जी. 11 ए.एक्स 5121 को मय दस्तावेज चाबी सहित सुपुर्दनामा में प्रदान करने बाबत पेश किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जांजगीर के आदेशानुसार आवेदक/सुपुर्ददार द्वारा प्रतिभूति प्रस्तुत करने और वाहन की पहचान परिवर्तित न करने के संबंध में शर्तें अधिरोपित करते हुए शर्तों के पालन उपरांत विचारण न्यायालय पुनरीक्षणकर्ता को थाना चांपा के अपराध क्र. 285/22 अंतर्गत धारा 294, 506, 307, 34 भा.द.सं. जप्तशुदा वाहन वेगन आर क्र. सी.जी. 11 ए.एक्स. 5121 मय कागजात एवं चाबी सहित सुपुर्दनामा में दिये जाने का आदेश पारित किया गया है।

उक्त आदेश के परिपालन में आवेदक/सुपुर्ददार को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से 10,00,000/-(दस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा 50,000/-रूपये का जमानतदार पेश किये जाने पर आवेदक/सुपुर्ददार को जप्तशुदा वाहन व दस्तावेज प्रदान की जावे तथा वाहन के दस्तावेजों की नोटरी की सत्यप्रतिलिपि पेश उक्त आवेदक/सुपुर्ददार के आधार कार्ड सहित प्रस्तुत किये जाने पर जप्तशुदा वाहन जप्तशुदा वाहन वेगन आर क्र. सी.जी. 11 ए.एक्स. 5121 मय कागजात एवं चाबी **(अभियुक्त**

का चालन अनुज्ञप्ति को छोड़कर) को निम्न शर्तो के अधीन आवेदक/सुपुर्ददार को सुपुर्दनामे में दी जावे–

01– आवेदक/सुपुर्ददार उक्त वाहन के स्वत्व एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

2– न्यायालय जब कभी उक्त वाहन को पेश करने के लिये आदेशित करेगा, आवेदक/सुपुर्ददार स्वयं के व्यय पर वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

03– आवेदक/सुपुर्ददार वाहन को किसी अन्य को हस्तांतरित या विक्रय नहीं करेगा।

04– आवेदक/सुपुर्ददार विवेचना व विचारण में सहयोग करेगा।

05– अपने पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

प्रकरण की केस डायरी वापस हो।

प्रकरण सुपुर्दनामा आदेश के पालन हेतु–

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर–चांपा(छ0ग0)

<u>पश्चात,</u>

आदेशानुसार **आवेदक/सुपुर्ददार लोचन प्रसाद पाण्डेय पिता भरतलाल पाण्डेय उम्र 55 वर्ष** की ओर से 10,00,000/–(दस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा एवं उक्त वाहन एवं दस्तावेजों की नोटरी सत्यापित प्रति, आधार कार्ड पेश

किया गया, तथा जमानतदार..................

....

....

के द्वारा 50,000/—(पचास हजार रूपए) का जमानत प्रस्तुत किया गया, जो प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर तस्दीक उपरांत स्वीकार किया गया।

जमानतदार का आधार कार्ड की प्रति एवं जमानत संबंधी प्रस्तुत भूमि/संपत्ति संबंधी समस्त राजस्व दस्तावेजों की प्रति जरिये ज्ञापन सहित संबंधित राजस्व अधिकारी को प्रेषित किया जावे, ताकि उक्त दस्तावेजों की वास्तविकता की जांच माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा M.Cr.C.No. 3957 of 2017 (Ved Prakash Gupta@ Gudda v. State of Chhattisgarh) में दिनांक 05/01/2018 में पारित निर्देश के परिप्रेक्ष्य में की जा सके।

राजस्व अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन विलंब से प्रस्तुत करने तथा कृषकों को मूल ऋण पुस्तिका की आवश्यकता कृषि कार्य में होने से ऋण पुस्तिका की प्रमाणित प्रति अभिलेख में संलग्न की जावे तथा प्रमाणित प्रति की अन्य छायाप्रति ज्ञापन के साथ प्रेषित की जावे। मूल ऋण पुस्तिका वापस कर पावती ली जाये।

सुपुर्दनामा आदेश जारी किया जावे एवं टीप अंकित किया जावे कि वाहन की विभिन्न कोणो से फोटोग्राफ्स लेकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

सुपुर्दनामा प्रकरण समाप्त। अभिलेख व्यवस्थित कर अभियोग पत्र प्रस्तुति पर मूल प्रकरण संलग्न हो अन्यथा अभिलेखागार प्रेषित हो।

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर–चांपा(छ0ग0)

सुपुर्दनामा आवेदन पर तर्क श्रवण किया।

आवेदक/सुपुर्ददार **लोचन प्रसाद पाण्डेय** की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस प्रकार है कि थाना चांपा जप्तशुदा वाहन वेगन आर क्र. सी.जी. 11 ए.एक्स. 5121 मय कागजात एवं चाबी के जप्त किया गया है। उक्त जप्तशुदा वाहन का स्वामी आवेदक/सुपुर्ददार के नाम से पंजीकृत है। उक्त जप्तशुदा वाहन के थाने में खुली अवस्था में पड़े रहने के कारण उसके कलपुर्जे एवं इंजन में खराबी आने की संभावना है। वह जप्तशुदा वाहन को न्यायालय से सुपुर्दनामा पर प्राप्त करना चाहता है तथा सुपुर्दनामे पर प्रदान किये जाने पर समस्त न्यायिक शर्तों का पालन करने वचनबद्ध है। अस्तु जप्तशुदा वाहन वेगन आर क्र. सी.जी. 11 ए.एक्स. 5121 मय कागजात एवं चाबी मय कागजात एवं चाबी सहित सुपुर्दनामें पर दिये जाने का निवेदन किया गया है।

तर्क एवं निवेदन के परीप्रेक्ष्य में केस डायरी अवलोकन से यह दर्शित है कि थाना चांपा अपराध क्रमांक–285/22 अंतर्गत धारा धारा 294, 506, 307, 34 भा0द0वि0 संलग्न जप्ती पत्रक मुताबिक जप्तशुदा वाहन वेगन आर क्र. सी.जी. 11 ए.एक्स. 5121 मय कागजात एवं चाबी एवं वाहन को **आर. सी. बुक, बीमा, माल यान अनुज्ञा 0000000** पत्र एवं आरोपी वाहन चालक का चालन अनुज्ञप्ति जप्त किया गया है। केस डायरी संलग्न मूल आर0सी0 बुक के अवलोकन से जप्तशुदा

आवेदित वाहन जप्तशुदा वाहन वेगन आर क्र. सी.जी. 11 ए.एक्स. 5121 मय कागजात एवं चाबी आवेदक/सुपुर्ददार **मोहम्मद युसुफ** के नाम से पंजीकृत होना दर्शित है। आवेदन संलग्न मूल बीमा दस्तावेज से घटना समय वाहन बीमित होना भी दर्शित है। थाने से प्राप्त प्रतिवेदन में जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामा में दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। जप्तशुदा वाहन मशीनरी वस्तु है एवं असुरक्षित अवस्था में रखे जाने से यांत्रिक कमी एवं गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

28 / 07 / 2022 आवेदक / सुपुर्ददार द्वारा अधिवक्ता श्री आर.एल.बाजपेयी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण सुपुर्दनामा आवेदन पत्र तर्क/विचार हेतु नियत है।

थाना बिर्रा से अपराध क्रमांक–98/22 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

सुपुर्दनामा आवेदन पर तर्क श्रवण किया।

आवेदक/सुपुर्ददार **गणेश कुमार** की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस प्रकार है कि थाना बिर्रा जप्तशुदा वाहन वेगन आर क्र. सी.जी. 12 बी.एफ. 7261 मय कागजात एवं चाबी के जप्त किया गया है। उक्त जप्तशुदा वाहन का स्वामी आवेदक/सुपुर्ददार के नाम से पंजीकृत है। उक्त जप्तशुदा वाहन के थाने में खुली अवस्था में पड़े रहने के कारण उसके कलपुर्जे एवं इंजन में खराबी आने की संभावना है। वह जप्तशुदा वाहन को न्यायालय से सुपुर्दनामा पर प्राप्त करना चाहता है तथा सुपुर्दनामे पर प्रदान किये जाने पर समस्त न्यायिक शर्तों का पालन करने वचनबद्ध है। अस्तु जप्तशुदा वाहन वेगन आर क्र. सी.जी. 12 बी.एफ. 7261 मय कागजात एवं चाबी सहित सुपुर्दनामें पर दिये जाने का निवेदन किया गया है।

तर्क एवं निवेदन के परीप्रेक्ष्य में केस डायरी अवलोकन से यह दर्शित है कि थाना बिर्रा अपराध क्रमांक–98/22 अंतर्गत धारा धारा 279, 337 भा0द0वि0 संलग्न जप्ती पत्रक मुताबिक जप्तशुदा वाहन वेगन आर क्र. सी.जी. 12 बी.एफ. 7261 मय कागजात एवं चाबी एवं वाहन को आर.सी. बुक, बीमा, माल यान अनुज्ञा पत्र एवं आरोपी वाहन चालक का चालन अनुज्ञप्ति जप्त किया गया है। केस डायरी संलग्न मूल आर0सी0 बुक के अवलोकन से जप्तशुदा

आवेदित वाहन जप्तशुदा वाहन वेगन आर क्र. सी.जी. 12 बी.एफ. 7261 मय कागजात एवं चाबी आवेदक/सुपुर्ददार **गणेश कुमार** के नाम से पंजीकृत होना दर्शित है। आवेदन संलग्न मूल बीमा दस्तावेज से घटना समय वाहन बीमित होना

भी दर्शित है। थाने से प्राप्त प्रतिवेदन में जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामा में दिये जाने पर कोई आपत्ति की गयी है। जप्तशुदा वाहन मशीनरी वस्तु है एवं असुरक्षित अवस्था में रखे जाने से यांत्रिक कमी एवं गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ऐसी दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत–सुंदरलाल अंबालाल देसाई वि. गुजरात राज्य, स्पेशल लिव पिटीशन क्रिमीनल 2745/2022, दिनांक 01.01.2002 में प्रतिपादित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में उक्त वाहन जप्तशुदा वाहन वेगन आर क्र. सी.जी. 12 बी.एफ. 7261 मय कागजात एवं चाबी को आवेदक/सुपुर्ददार को सुपुर्दनामा में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से 10,00,000/–(दस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा तथा वाहन के दस्तावेजों की नोटरी की सत्यप्रतिलिपि पेश उक्त आवेदक/सुपुर्ददार के आधार कार्ड सहित प्रस्तुत किये जाने पर जप्तशुदा वाहन वेगन आर क्र. सी.जी. 12 बी.एफ. 7261 मय कागजात एवं चाबी **(अभियुक्त का चालन अनुज्ञप्ति को छोड़कर)** को निम्न शर्तो के अधीन आवेदक/सुपुर्ददार को सुपुर्दनामे में दी जावे–

01— आवेदक/सुपुर्ददार उक्त वाहन के स्वत्व एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

02— न्यायालय जब कभी उक्त वाहन को पेश करने के लिये आदेशित करेगा, आवेदक/सुपुर्ददार स्वयं के व्यय पर वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

03— आवेदक/सुपुर्ददार वाहन को किसी अन्य को हस्तांतरित या विक्रय नहीं करेगा।

04— आवेदक/सुपुर्ददार विवेचना व विचारण में सहयोग करेगा।

05— अपने पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

प्रकरण की केस डायरी वापस हो।

प्रकरण सुपुर्दनामा आदेश के पालन हेतु—

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर—चांपा(छ0ग0)

पश्चात,

आदेशानुसार **आवेदक/सुपुर्ददार गणेश कुमार पिता जगदीश गौर उम्र 31 वर्ष** की ओर से 10,00,000/—(दस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा एवं उक्त वाहन एवं दस्तावेजों की नोटरी सत्यापित प्रति, आधार कार्ड पेश किया गया, जो प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर तस्दीक उपरांत स्वीकार किया गया। सुपुर्दनामा आदेश जारी किया जावे।

सुपुर्दनामा प्रकरण समाप्त। अभिलेख व्यवस्थित कर अभियोग पत्र प्रस्तुति पर मूल प्रकरण संलग्न हो अन्यथा अभिलेखागार प्रेषित हो।

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर–चांपा(छ0ग0)

11/07/2022 आवेदक/सुपुर्ददार द्वारा अधिवक्ता श्री लक्ष्मी बंजारे अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण सुपुर्दनामा आवेदन पत्र तर्क/विचार हेतु नियत है।

थाना बम्हनीडीह से अपराध क्रमांक–75/21 अंतर्गत धारा 304–ए भा.द.सं. की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

सुपुर्दनामा आवेदन पर तर्क श्रवण किया।

आवेदक/सुपुर्ददार **द्वारिका प्रसाद साहू** की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस प्रकार है कि थाना बम्हनीडीह जप्तशुदा वाहन 12 चक्का ट्रक क्र. सी.जी. 04 एच.यू. 6173 एवं चाबी के जप्त किया गया है। उक्त जप्तशुदा वाहन का स्वामी आवेदक/सुपुर्ददार के नाम से पंजीकृत है। उक्त जप्तशुदा वाहन के थाने में खुली अवस्था में पड़े रहने के कारण उसके कलपुर्जे एवं इंजन में खराबी आने की संभावना है। वह जप्तशुदा वाहन को न्यायालय से सुपुर्दनामा पर प्राप्त करना चाहता है तथा सुपुर्दनामे पर प्रदान किये जाने पर समस्त न्यायिक शर्तों का पालन करने वचनबद्ध है। अस्तु जप्तशुदा वाहन 12 चक्का ट्रक क्र. सी.जी. 04 एच.यू. 6173 एवं चाबी के सहित सुपुर्दनामे पर दिये जाने का निवेदन किया गया है।

तर्क एवं निवेदन के परीप्रेक्ष्य में केस डायरी अवलोकन से यह दर्शित है कि थाना बम्हनीडीह अपराध क्रमांक–75/21 अंतर्गत धारा धारा 304–ए भा0द0वि0 संलग्न जप्ती पत्रक मुताबिक जप्तशुदा वाहन 12 चक्का ट्रक क्र. सी. जी. 04 एच.यू. 6173 एवं चाबी एवं वाहन को आर.सी. बुक, बीमा, माल यान अनुज्ञा पत्र को जप्त किया गया है। केस डायरी संलग्न मूल आर0सी0 बुक के अवलोकन से जप्तशुदा आवेदित वाहन 12 चक्का ट्रक क्र. सी.जी. 04 एच.यू. 6173 एवं चाबी आवेदक/सुपुर्ददार **द्वारिका प्रसाद साहू** के नाम से

पंजीकृत होना दर्शित है। आवेदन संलग्न मूल बीमा दस्तावेज से घटना समय वाहन बीमित होना भी दर्शित है। आवेदक/सुपुर्ददार द्वारा मूल दस्तावेज के संबंध में नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर, शपथपत्र पेश की गयी। थाने से प्राप्त प्रतिवेदन में जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामा में दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। जप्तशुदा वाहन मशीनरी वस्तु है एवं असुरक्षित अवस्था में रखे जाने से यांत्रिक कमी एवं गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से 10,00,000/–(दस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा तथा वाहन के दस्तावेजों की नोटरी की सत्यप्रतिलिपि पेश उक्त आवेदक/सुपुर्ददार के आधार कार्ड सहित प्रस्तुत किये जाने पर जप्तशुदा वाहन 12 चक्का ट्रक क्र. सी.जी. 04 एच.यू. 6173 एवं चाबी **(अभियुक्त का चालन अनुज्ञप्ति को छोड़कर)** को निम्न शर्तो के अधीन आवेदक/सुपुर्ददार को सुपुर्दनामे में दी जावे–

01– आवेदक/सुपुर्ददार उक्त वाहन के स्वत्व एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

02– न्यायालय जब कभी उक्त वाहन को पेश करने के लिये आदेशित करेगा, आवेदक/सुपुर्ददार स्वयं के व्यय पर वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

03— आवेदक/सुपुर्ददार वाहन को किसी अन्य को हस्तांतरित या विक्रय नहीं करेगा।

04— आवेदक/सुपुर्ददार विवेचना व विचारण में सहयोग करेगा।

05— अपने पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

प्रकरण की केस डायरी वापस हो।

प्रकरण सुपुर्दनामा आदेश के पालन हेतु—

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर—चांपा(छ0ग0)

<u>पश्चात,</u>

आदेशानुसार आवेदक/सुपुर्ददार **द्वारिका प्रसाद साहू पिता मनीलाल साहू** की ओर से 10,00,000/—(दस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा एवं उक्त वाहन एवं दस्तावेजों की नोटरी सत्यापित प्रति, आधार कार्ड पेश किया गया, जो प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर तस्दीक उपरांत स्वीकार किया गया। सुपुर्दनामा आदेश जारी किया जावे।

सुपुर्दनामा प्रकरण समाप्त। अभिलेख व्यवस्थित कर अभियोग पत्र प्रस्तुति पर मूल प्रकरण संलग्न हो अन्यथा अभिलेखागार प्रेषित हो।

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर—चांपा(छ0ग0)

05/07/2022 आवेदक/सुपुर्ददार द्वारा अधिवक्ता श्री संजय सोयेत्रा अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण सुपुर्दनामा आवेदन पत्र तर्क/विचार हेतु नियत है।

थाना चांपा से अपराध क्रमांक–285/22 अंतर्गत धारा 294, 506, 307, 34 भा.द.सं. की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

सुपुर्दनामा आवेदन पर तर्क श्रवण किया।

आवेदक/सुपुर्ददार **लोचन प्रसाद पाण्डेय** की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस प्रकार है कि थाना चांपा जप्तशुदा वाहन वेगन आर क्र. सी.जी. 11 ए.एक्स. 5121 मय कागजात एवं चाबी के जप्त किया गया है। उक्त जप्तशुदा वाहन का स्वामी आवेदक/सुपुर्ददार के नाम से पंजीकृत है। उक्त जप्तशुदा वाहन के थाने में खुली अवस्था में पड़े रहने के कारण उसके कलपुर्जे एवं इंजन में खराबी आने की संभावना है। वह जप्तशुदा वाहन को न्यायालय से सुपुर्दनामा पर प्राप्त करना चाहता है तथा सुपुर्दनामे पर प्रदान किये जाने पर समस्त न्यायिक शर्तों का पालन करने वचनबद्ध है। अस्तु जप्तशुदा वाहन वेगन आर क्र. सी.जी. 11 ए.एक्स. 5121 मय कागजात एवं चाबी मय कागजात एवं चाबी सहित सुपुर्दनामें पर दिये जाने का निवेदन किया गया है।

तर्क एवं निवेदन के परीप्रेक्ष्य में केस डायरी अवलोकन से यह दर्शित है कि थाना चांपा अपराध क्रमांक–285/22 अंतर्गत धारा धारा 294, 506, 307, 34 भा0द0वि0 संलग्न जप्ती पत्रक मुताबिक जप्तशुदा वाहन वेगन आर क्र. सी.जी. 11 ए.एक्स. 5121 मय कागजात एवं चाबी एवं वाहन को **आर.सी. बुक, बीमा, माल यान अनुज्ञा 0000000** पत्र एवं आरोपी वाहन चालक का चालन अनुज्ञप्ति जप्त किया गया है। केस डायरी संलग्न मूल आर0सी0 बुक के अवलोकन

से जप्तशुदा आवेदित वाहन जप्तशुदा वाहन वेगन आर क्र. सी. जी. 11 ए.एक्स. 5121 मय कागजात एवं चाबी आवेदक/सुपुर्ददार **मोहम्मद युसुफ** के नाम से पंजीकृत होना दर्शित है। आवेदन संलग्न मूल बीमा दस्तावेज से घटना समय वाहन बीमित होना भी दर्शित है। थाने से प्राप्त प्रतिवेदन में जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामा में दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। जप्तशुदा वाहन मशीनरी वस्तु है एवं असुरक्षित अवस्था में रखे जाने से यांत्रिक कमी एवं गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से 10,00,000/–(दस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा तथा वाहन के दस्तावेजों की नोटरी की सत्यप्रतिलिपि पेश उक्त आवेदक/सुपुर्ददार के आधार कार्ड सहित प्रस्तुत किये जाने पर जप्तशुदा वाहन जप्तशुदा वाहन वेगन आर क्र. सी.जी. 11 ए.एक्स. 5121 मय कागजात एवं चाबी **(अभियुक्त का चालन अनुज्ञप्ति को छोड़कर)** को निम्न शर्तो के अधीन आवेदक/सुपुर्ददार को सुपुर्दनामे में दी जावे–

01– आवेदक/सुपुर्ददार उक्त वाहन के स्वत्व एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

02– न्यायालय जब कभी उक्त वाहन को पेश करने के लिये आदेशित करेगा, आवेदक/सुपुर्ददार स्वयं के व्यय पर वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

03– आवेदक/सुपुर्ददार वाहन को किसी अन्य को हस्तांतरित या विक्रय नहीं करेगा।

04– आवेदक/सुपुर्ददार विवेचना व विचारण में सहयोग करेगा।

05– अपने पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

प्रकरण की केस डायरी वापस हो।

प्रकरण सुपुर्दनामा आदेश के पालन हेतु–

(श्रीमती गंगा पटेल)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर–चांपा(छ0ग0)

<u>पश्चात,</u>

आदेशानुसार **आवेदक/सुपुर्ददार लोचन प्रसाद पाण्डेय पिता भरतलाल पाण्डेय उम्र 55 वर्ष** की ओर से 10,00,000/–(दस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा एवं उक्त वाहन एवं दस्तावेजों की नोटरी सत्यापित प्रति, आधार कार्ड पेश किया गया, जो प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर तस्दीक उपरांत स्वीकार किया गया। सुपुर्दनामा आदेश जारी किया जावे।

सुपुर्दनामा प्रकरण समाप्त। अभिलेख व्यवस्थित कर अभियोग पत्र प्रस्तुति पर मूल प्रकरण संलग्न हो अन्यथा अभिलेखागार प्रेषित हो।

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर–चांपा(छ0ग0)

04/07/2022 आवेदक/सुपुर्ददार द्वारा अधिवक्ता श्री अनिल महार अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण सुपुर्दनामा आवेदन पत्र तर्क/विचार हेतु नियत है।

थाना चांपा से अपराध क्रमांक–187/22 अंतर्गत धारा 279, 337, 304–ए भा.द.सं. की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

सुपुर्दनामा आवेदन पर तर्क श्रवण किया।

आवेदक/सुपुर्ददार **मो0 यूसूफ** की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस प्रकार है कि थाना चांपा जप्तशुदा वाहन ट्रक क्र. सी.जी. 12 एस. 2200 मय कागजात एवं चाबी के जप्त किया गया है। उक्त जप्तशुदा वाहन का स्वामी आवेदक/सुपुर्ददार के नाम से पंजीकृत है। उक्त जप्तशुदा वाहन के थाने में खुली अवस्था में पड़े रहने के कारण उसके कलपुर्जे एवं इंजन में खराबी आने की संभावना है। वह जप्तशुदा वाहन को न्यायालय से सुपुर्दनामा पर प्राप्त करना चाहता है तथा सुपुर्दनामे पर प्रदान किये जाने पर समस्त न्यायिक शर्तों का पालन करने वचनबद्ध है। अस्तु जप्तशुदा वाहन ट्रक क्र. सी. जी. 12 एस. 2200 मय कागजात एवं चाबी मय कागजात एवं चाबी सहित सुपुर्दनामे पर दिये जाने का निवेदन किया गया है।

तर्क एवं निवेदन के परीप्रेक्ष्य में केस डायरी अवलोकन से यह दर्शित है कि थाना चांपा अपराध क्रमांक–187/22 अंतर्गत धारा धारा 279, 337, 304–ए भा0द0वि0 संलग्न जप्ती पत्रक मुताबिक जप्तशुदा वाहन ट्रक क्र. सी.जी. 12 एस. 2200 मय कागजात एवं चाबी एवं वाहन को आर.सी. बुक, बीमा, माल यान अनुज्ञा पत्र एवं आरोपी वाहन चालक का चालन अनुज्ञप्ति जप्त किया गया है। केस डायरी संलग्न मूल आर0सी0 बुक के अवलोकन से जप्तशुदा

आवेदित वाहन जप्तशुदा वाहन ट्रक क्र. सी.जी. 12 एस. 2200 मय कागजात एवं चाबी आवेदक/सुपुर्ददार **मोहम्मद युसुफ** के नाम से पंजीकृत होना दर्शित है। आवेदन संलग्न मूल बीमा दस्तावेज से घटना समय वाहन बीमित होना भी दर्शित है। थाने से प्राप्त प्रतिवेदन में जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामा में दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। जप्तशुदा वाहन

मशीनरी वस्तु है एवं असुरक्षित अवस्था में रखे जाने से यांत्रिक कमी एवं गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से 30,00,000/—(तीस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा तथा वाहन के दस्तावेजों की नोटरी की सत्यप्रतिलिपि पेश उक्त आवेदक/सुपुर्ददार के आधार कार्ड सहित प्रस्तुत किये जाने पर जप्तशुदा वाहन ट्रक क्र. सी.जी. 12 एस. 2200 मय कागजात एवं चाबी **(अभियुक्त का चालन अनुज्ञप्ति को छोड़कर)** को निम्न शर्तो के अधीन आवेदक/सुपुर्ददार को सुपुर्दनामे में दी जावे—

01— आवेदक/सुपुर्ददार उक्त वाहन के स्वत्व एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

02— न्यायालय जब कभी उक्त वाहन को पेश करने के लिये आदेशित करेगा, आवेदक/सुपुर्ददार स्वयं के व्यय पर वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

03– आवेदक/सुपुर्ददार वाहन को किसी अन्य को हस्तांतरित या विक्रय नहीं करेगा।

04– आवेदक/सुपुर्ददार विवेचना व विचारण में सहयोग करेगा।

05– अपने पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

प्रकरण की केस डायरी वापस हो।

प्रकरण सुपुर्दनामा आदेश के पालन हेतु–

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर–चांपा(छ0ग0)

<u>पश्चात,</u>

आदेशानुसार आवेदक/सुपुर्ददार **मोहम्मद युसूफ पिता शेख रहमतुल्ला जाति मुसलमान निवासी सरस्वती स्कूल के पास सीतामढ़ी कोरबा छ0ग0** की ओर से 30,00,000/–(तीस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा एवं उक्त वाहन एवं दस्तावेजों की नोटरी सत्यापित प्रति, आधार कार्ड पेश किया गया, जो प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर तस्दीक उपरांत स्वीकार किया गया। सुपुर्दनामा आदेश जारी किया जावे।

सुपुर्दनामा प्रकरण समाप्त। अभिलेख व्यवस्थित कर अभियोग पत्र प्रस्तुति पर मूल प्रकरण संलग्न हो अन्यथा अभिलेखागार प्रेषित हो।

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर–चांपा(छ0ग0)

है।

28/06/2022 आवेदक/सुपुर्ददार द्वारा अधिवक्ता श्री लक्ष्मी बंजारे अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण सुपुर्दनामा आवेदन पत्र तर्क/विचार हेतु नियत है।

थाना बिर्रा से अपराध क्रमांक–64/22 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

सुपुर्दनामा आवेदन पर तर्क श्रवण किया।

आवेदक/सुपुर्ददार **श्री अम्बिका आटो सेल्स एंड संर्विस वडोदरा ओथोराईझड मैनेजर कौशिक राणा** द्वारा आम **मुख्तियार अनिल सिंह** की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस प्रकार है कि थाना बिर्रा जप्तशुदा वाहन टाटा सिंगना 4852 टी.के.

टेम्प्रेरी क्र. जे.एच. 5ए. 8683 मय कागजात एवं चाबी के जप्त किया गया है। उक्त जप्तशुदा वाहन **श्री अम्बिका आटो सेल्स एंड संर्विस वडोदरा ओथोराईझड मैनेजर कौशिक राणा पिता सुरेश भाई राणा उम्र 41 वर्ष निवासी प्लोट नं. 10 बी. रनोली वडोदरा गुजरात** के नाम से पंजीकृत है। आवेदक/सुपुर्ददार **अनिल सिंह** को आम मुख्तियार नियुक्त किया गया है, वह जप्तशुदा वाहन को आम मुख्तियार की हैसियत से न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दनामे पर प्राप्त करना चाहता है। उक्त जप्तशुदा वाहन के थाने में खुली अवस्था में पड़े रहने के कारण उसके कलपुर्जे एवं इंजन में खराबी आने की संभावना है। वह जप्तशुदा वाहन को न्यायालय से सुपुर्दनामा पर प्राप्त करना चाहता है तथा सुपुर्दनामे पर प्रदान किये जाने पर समस्त न्यायिक शर्तों का पालन करने वचनबद्ध है। अस्तु जप्तशुदा वाहन टाटा सिंगना 4852 टी.के. टेम्प्रेरी क्र. जे.एच. 5ए. 8683 मय कागजात एवं चाबी सहित सुपुर्दनामे पर दिये जाने का निवेदन किया गया है।

तर्क एवं निवेदन के परीप्रेक्ष्य में केस डायरी अवलोकन से यह दर्शित है कि थाना बिर्रा अपराध क्रमांक–64/22

अंतर्गत धारा धारा 279, 337 भा0द0वि0 संलग्न जप्ती पत्रक मुताबिक अन्य संपत्ति के साथ जप्तशुदा वाहन टाटा सिंगना 4852 टी.के. टेम्प्रेरी क्र. जे.एच. 5ए. 8683 एवं पश्चात में उक्त वाहन को आर.सी. बुक, फिटनेस, बीमा, मालयान अनुज्ञा

पत्र एवं आरोपी वाहन चालक का चालन अनुज्ञप्ति जप्त किया गया है। केस डायरी संलग्न मूल आर0सी0 बुक के अवलोकन से जप्तशुदा आवेदित वाहन जप्तशुदा वाहन टाटा सिंगना 4852 टी.के. टेम्प्रेरी क्र. जे.एच. 5ए. 8683 **श्री अम्बिका आटो सेल्स एंड संर्विस वडोदरा ओथोराईझड मैनेजर कौशिक राणा पिता सुरेश भाई राणा उम्र 41 वर्ष निवासी प्लोट नं. 10 बी. रनोली वडोदरा गुजरात** के नाम से पंजीकृत होना दर्शित है उक्त वाहन सोल्ड वाहन था। उक्त वाहन को सुपुर्दनामा में लेने के लिए अम्बिका आटो सेल्स एण्ड बडोदरा के मैनेजर कौशिक राणा द्वारा अनिल सिंह को मुख्तियार खास नियुक्त किया गया है। आवेदन संलग्न मूल बीमा दस्तावेज से घटना समय वाहन बीमित होना भी दर्शित है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा खास मुख्तियारनामा तथा **अनिल सिंह** की छायाप्रति प्रति प्रस्तुत है। खास मुख्तियारनामा **श्री अम्बिका आटो सेल्स एंड संर्विस** द्वारा आवेदक **अनिल सिंह** को समस्त मामले में उनकी ओर से उपस्थित होकर सक्षम प्राधिकार के समक्ष समुचित कार्यवाही सम्पन्न करने अधिकृत किया गया है। **श्री अम्बिका आटो सेल्स एंड संर्विस** तथा खास मुख्तियारनामा की मूल प्रति अवलोकन उपरांत आवेदक के अधिवक्ता को वापस लौटाई गयी। थाने से प्राप्त प्रतिवेदन में जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामा में दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। जप्तशुदा वाहन मशीनरी वस्तु है एवं असुरक्षित अवस्था में रखे जाने से यांत्रिक कमी एवं गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से 30,00,000/—(तीस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा तथा उक्त वाहन एवं **श्री अम्बिका आटो सेल्स एंड संर्विस** व खास

मुख्तियारनामा दस्तावेजों की नोटरी सत्यापित प्रति, आवेदक/सुपुर्ददार के आधार कार्ड सहित प्रस्तुत किये जाने पर जप्तशुदा वाहन टाटा सिंगना 4852 टी.के. टेम्प्रेरी क्र. जे.एच. 5ए. 8683 मय कागजात एवं चाबी **(अभियुक्त का चालन अनुज्ञप्ति को छोड़कर)** को निम्न शर्तो के अधीन आवेदक/सुपुर्ददार/खास मुख्यितार **अनिल सिंह** को सुपुर्दनामे में दी जावे—

01— आवेदक/सुपुर्ददार/खास मुख्यितार उक्त वाहन के स्वत्व एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

02— न्यायालय जब कभी उक्त वाहन को पेश करने के लिये आदेशित करेगा, आवेदक/सुपुर्ददार/खास मुख्यितार स्वयं के व्यय पर वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

03— आवेदक/सुपुर्ददार/खास मुख्यितार वाहन को किसी अन्य को हस्तांतरित या विक्रय नहीं करेगा।

04— आवेदक/सुपुर्ददार/खास मुख्यितार विवेचना व विचारण में सहयोग करेगा।

05— अपने पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

प्रकरण की केस डायरी वापस हो।

प्रकरण सुपुर्दनामा आदेश के पालन हेतु—

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर–चांपा(छ0ग0)

पश्चात,

आदेशानुसार आवेदक/सुपुर्ददार/खास मुख्तियार अनिल **सिंह पिता स्व. सुंदर सिंह, निवासी–फलोट नं. 509 अशोका टावर ओल्ड पुरूलिया रोड मानगो जमशेदपुर झारखण्ड** की ओर से 30,00,000/–(तीस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा एवं उक्त वाहन एवं **श्री अम्बिका आटो सेल्स एंड सर्विस** व खास मुख्तियारनामा दस्तावेजों की नोटरी सत्यापित प्रति, आधार कार्ड पेश किया गया, जो प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर तस्दीक उपरांत स्वीकार किया गया। सुपुर्दनामा आदेश जारी किया जावे।

सुपुर्दनामा प्रकरण समाप्त। अभिलेख व्यवस्थित कर अभियोग पत्र प्रस्तुति पर मूल प्रकरण संलग्न हो अन्यथा अभिलेखागार प्रेषित हो।

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर–चांपा(छ0ग0)

05/05/2022

आवेदक/सुपुर्ददार द्वारा अधिवक्ता श्री गोपी बरेठ उप।

प्रकरण सुपुर्दनामा आवेदन पत्र तर्क/विचार हेतु नियत है।

थाना चांपा से अपराध क्रमांक–177/22 अंतर्गत धारा 304ए भा.द.सं. की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

सुपुर्दनामा आवेदन पर तर्क श्रवण किया।

आवेदक/सुपुर्ददार **प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा द्वारा आम मुख्तियार महेन्द्र कुमार सिंह** की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस प्रकार है कि थाना चांपा द्वारा घटना दिनांक 01.05.2022 के अनुसार जप्तशुदा ट्रेलर वाहन क्रमांक–सी0जी0 11/ए बी–3145 मय कागजात एवं चाबी के जप्त किया गया है। उक्त जप्तशुदा वाहन प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा के नाम से पंजीकृत है। आवेदक/सुपुर्ददार महेन्द्र कुमार सिंह प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा में वरिष्ठ अधिकारी ट्रांसपोर्ट शाखा के रूप में कार्यरत है तथा प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा का डायरेक्टर एम.एल. पारीक है जिसके द्वारा वरिष्ठ अधिकारी ट्रांसपोर्ट महेन्द्र कुमार सिंह को आम मुख्तियार नियुक्त किया गया है, वह जप्तशुदा वाहन को आम मुख्तियार की हैसियत से महेन्द्र कुमार सिंह न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दनामे पर प्राप्त करना चाहता है। उक्त जप्तशुदा ट्रेलर के जप्त हो जाने से प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। जप्तशुदा वाहन के थाने में खुली अवस्था में पड़े रहने के कारण उसके कलपुर्जे एवं इंजन में खराबी आने की संभावना है। वह जप्तशुदा वाहन को न्यायालय से सुपुर्दनामा पर प्राप्त करना चाहता है तथा सुपुर्दनामे पर प्रदान किये जाने पर समस्त

न्यायिक शर्तों का पालन करने वचनबद्ध है। अस्तु जप्तशुदा ट्रेलर वाहन कमांक–सी0जी0 11/ए बी–3145 मय कागजात एवं चाबी सहित सुपुर्दनामे पर दिये जाने का निवेदन किया गया है।

तर्क एवं निवेदन के परीप्रेक्ष्य में केस डायरी अवलोकन से यह दर्शित है कि थाना चांपा अपराध कमांक–177/22 अंतर्गत धारा धारा 304ए भा0द0वि0 संलग्न जप्ती पत्रक मुताबिक अन्य संपत्ति के साथ ट्रेलर वाहन कमांक–सी0जी0 11/ए बी–3145 एवं पश्चात में उक्त वाहन को आर.सी. बुक, फिटनेस, बीमा, मालयान अनुज्ञा पत्र एवं आरोपी वाहन चालक का चालन अनुज्ञप्ति जप्त किया गया है। केस डायरी संलग्न मूल आर0सी0 बुक के अवलोकन से जप्तशुदा आवेदित वाहन **ट्रेलर वाहन कमांक–सी0जी0 11/ए बी–3145 प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा, जिला जांजगीर–चांपा, छ0ग0** के नाम से पंजीकृत होना दर्शित है जिससे प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा उक्त आवेदित जप्तशुदा वाहन का पंजीकृत स्वामी होना पाया जाता है। आवेदन संलग्न मूल बीमा दस्तावेज से घटना समय वाहन बीमित होना भी दर्शित है। आवेदन संलग्न वाहन संबंधी जप्तशुदा अन्य दस्तावेज फिटनेस, मालयान अनुज्ञा भी समयावधि में होना दर्शित है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आम मुख्तियारनामा तथा प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आर्टिकल आफ एसोसिएशन की मूल प्रति प्रस्तुत। आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अवलोकन से यह दर्शित है कि कंपनीस एक्ट अंतर्गत पंजीकृत प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर सूची में क0–10 में एम0एल0 पारिक का नाम दर्शित

है, जिससे एम0एल0 पारिक उक्त कंपनी में डायरेक्टर होना प्रकट है। आम मुख्तियारनामा दिनांक 08/05/2017 के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से डायरेक्टर एम0एल0 पारिक द्वारा दिनांक 08/05/2017 को आवेदक महेन्द्र कुमार सिंह पिता स्व. ब्रिजनाथ सिंह, उम्र–47 वर्ष, वरिष्ठ अधिकारी ट्रांसपोर्ट प्रकाश इंडस्टीज लिमिटेड चांपा के पक्ष में कंपनी के परिवहन संबंधी मामलों सहित समस्त मामले में कंपनी की ओर से उपस्थित होकर सक्षम प्राधिकार के समक्ष समुचित कार्यवाही सम्पन्न करने अधिकृत किया गया है। आर्टिकल आफ एसोसिएशन तथा आम मुख्तियारनामा की मूल प्रति अवलोकन उपरांत आवेदक के अधि वक्ता को वापस लौटाई गयी। थाने से प्राप्त प्रतिवेदन में जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामा में दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। जप्तशुदा वाहन मशीनरी वस्तु है एवं असुरक्षित अवस्था में रखे जाने से यांत्रिक कमी एवं गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से 30,00,000/–(तीस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा तथा उक्त वाहन एवं आर्टिकल आफ एसोसिएशन व आम मुख्तियारनामा दस्तावेजों की नोटरी सत्यापित प्रति, आवेदक/सुपुर्ददार के आधार कार्ड सहित प्रस्तुत किये जाने पर जप्तशुदा वाहन **ट्रेलर वाहन क्रमांक–सी0जी0 11/ए बी–3145 मय कागजात चाबी (अभियुक्त का चालन अनुज्ञप्ति को छोड़कर)** को निम्न शर्तो के अधीन आवेदक/सुपुर्ददार/आम मुख्यितार **महेन्द्र कुमार सिंह** को सुपुर्दनामे में दी जावे–

01– आवेदक/सुपुर्ददार/आम मुख्यितार उक्त वाहन के स्वत्व एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

02– न्यायालय जब कभी उक्त वाहन को पेश करने के लिये आदेशित करेगा, आवेदक/सुपुर्ददार/आम मुख्यितार स्वयं के व्यय पर वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

03– आवेदक/सुपुर्ददार/आम मुख्यितार वाहन को किसी अन्य को हस्तांतरित या विक्रय नहीं करेगा।

04– आवेदक/सुपुर्ददार/आम मुख्यितार विवेचना व विचारण में सहयोग करेगा।

05– अपने पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

प्रकरण की केस डायरी वापस हो।

प्रकरण सुपुर्दनामा आदेश के पालन हेतु–

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर–चांपा(छ0ग0)

पश्चात,

आदेशानुसार आवेदक/सुपुर्ददार/आम मुख्तियार **महेन्द्र कुमार सिंह पिता स्व. बृजनाथ सिंह, निवासी–प्रकाश कुंज, कोटाडबरी चांपा थाना–चांपा, जिलाः जांजगीर–चांपा, छ0ग0** की ओर से 30,00,000/– (तीस लाख रूपए) का सुपुर्दनामा एवं उक्त वाहन एवं आर्टिकल आफ एसोसिएशन व आम मुख्तियारनामा दस्तावेजों की नोटरी सत्यापित प्रति, आधार कार्ड पेश किया गया, जो प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर तस्दीक उपरांत स्वीकार किया गया। सुपुर्दनामा आदेश जारी किया जावे।

सुपुर्दनामा प्रकरण समाप्त। अभिलेख व्यवस्थित कर अभियोग पत्र प्रस्तुति पर मूल प्रकरण संलग्न हो अन्यथा अभिलेखागार प्रेषित हो।

(श्रीमती गंगा पटेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा
जिलाः जांजगीर–चांपा(छ0ग0)

आवेदन संलग्न मूल बीमा दस्तावेज से घटना समय वाहन बीमित होना भी दर्शित है।